



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 17, शुक्रवार, शाके 1943-जनवरी 07, 2022  
Pausa 17, Friday, Saka 1943- January 07, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (गुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 07, 2022

**जी.एस.आर. 113** :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 द्वारा बनाये गये विनियम जिनका प्रकाशन राजपत्र में जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 हुआ है, द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

**संशोधन**

उक्त विनियमों के विद्यमान विनियम 7 एवं 9 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“7. कोई भी विवाह संबंधी आयोजन किसी मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर, धर्मशाला, सार्वजनिक स्थान व वर या वधू के घर पर अधिकतम 100 व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाकर आयोजित किया जा सकेगा एवं आयोजक को इसकी सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल <http://covidinfo.rajasthan.gov.in> → e-intimation: MARRIAGE या 181 हेल्प लाईन नंबर पर देनी होगी एवं उक्त आयोजन के आयोजक एवं विवाह स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर या अधिभोगी द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि,-

- (i) उक्त समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी परन्तु बैण्ड-बाजा वादको को 100 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जायेगा ;
- (ii) उक्त समारोह के आयोजन के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल-डोज वैक्सीनेशन, सामाजिक दूरी, फेस मास्क पहनना, नो माँस्क-नो एन्ट्री स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन की पालना सुनिश्चित की जावेगी;
- (iii) विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ;

- (iv) विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्रॉफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/JET द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करावेगा।
9. किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/सभा/रैली/धरना प्रदर्शन/जुलूस/मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी एवं उक्त आयोजनों के आयोजककर्ता को आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल <http://covidinfo.rajasthan.gov.in> → e-intimation: MARRIAGE या 181 हेल्प लाईन नंबर पर देनी होगी तथा उक्त आयोजनों के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे सामाजिक दूरी, डबल-डोज वैक्सीनेशन, फेस मास्क पहनना, नो मॉस्क-नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग व स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन की पालना सुनिश्चित करेगा। “

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

मुकेश पारीक,  
शासन उप सचिव।

---

Government Central Press, Jaipur.